

दिनांक: 20.02.2017

माननीय प्रधान मंत्री जी



PPS to Secretary (MSME)
20-2-17



विषय : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों मंत्रालय (Ministry of MSME) की संस्था राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC) द्वारा लघु उद्योगों से की जा रही लूट की सूचना

हम आपका ध्यान उस सरकारी लूट की ओर दिलाना चाहते हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों मंत्रालय (Ministry of MSME) की संस्था राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC) द्वारा लघु उद्योगों से की जा रही है। NSIC लघु उद्योगों को कच्चे माल पर, बैंक गारंटी की जमानत पर, लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराती है। कागजों पर तो इस प्रकार के ऋण पर व्याज दर न्यूनतम 10.50 % से 14.50% तक होती है, पर वास्तविकता में यह ब्याज 14.50 % से 19.00 % तक पहुँच जाता है। निम्न तालिका ब्याज की वास्तविक दर को दर्शाती है

	सालाना ब्याज दर प्रतिशत में	
	सूक्ष्म उद्योग	लघु व माध्यम उद्योग
प्रोसेसिंग चार्ज	1.00	1.00
270 दिनों तक के ऋण पर ब्याज दर	11.50	12.50
270 दिन से ज्यादा ऋण पर अतिरिक्त ब्याज दर 1 प्रतिशत 90 दिन के एक चक्र पर	4.00	4.00
NSIC को दी जाने वाली बैंक गारंटी पर बैंक को दिया जाने वाला शुल्क	3.00	3.00
बैंक को बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली प्रतिभूति पर ब्याज का नुकसान	1.50	1.50
NSIC से ऋण प्राप्त करने की वास्तविक न्यूनतम ब्याज दर	21.00	22.00

एक तरफ जब देश के बड़े औद्योगिक घराने को बैंक ऋण 8% से 9% तक के ब्याज पर मिल जाता है वह भी बिना किसी प्रतिभूति की, दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़की हड्डी यानि की लघु उद्योगों को ऋण लगभग 22% के ब्याज पर वह भी सरकारी संस्था द्वारा दिया जाता है। क्या यह लघु उद्यमियों के प्रति अपराध नहीं है ?

20-2-17

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
मंत्री का कार्यालय
Office of Minister (M.S.M.E.)
भारत सरकार / Government of India
उद्योग भवन, नई दिल्ली
Udyog Bhawan, New Delhi

....Contd 2....

Pragati Tower, 26 Rajendra Place, New Delhi-110008, INDIA.

+91-11-25784221 +91-7042828540 info@indianbusinessparty.org, indianbusinessparty@gmail.com

www.facebook.com/indianbusinessparty twitter.com/InBusinessParty www.linkedin.com/in/indianbusinessparty

NSIC की स्थापना देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु की गई थी पर दुर्भाग्यवश यह संस्था लघु उद्योगों का खूनचूस कर एक पारंपरिक सूदखोर की भूमिका अदा कर रही है | NSIC ने अपना एक मात्र उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना बना लिया है ताकि इस संस्थान की अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा PRP (Performance Related Perks) मिल सके | सुनने में यह आया है कि NSIC की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सालाना लगभग 20-30 लाख का PRP का भुगतान किया जाता है, अन्य निदेशकों को PRP लगभग 20 लाख सालाना मिलता है | स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के खून से NSIC के उच्च अधिकारी करोड़ों रुपये साल का PRP (Performance Related Perks) प्राप्त करते हैं | यदि NSIC के क्रिया कलापों की सही प्रकार से जाँच के जायतो NSIC के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लग सकते हैं क्योंकि यह संस्था लघु उद्योगों की विकास इत्यादि करने में पूर्णतः असमर्थ है |


हमारी पार्टी द्वारा लघु उद्योगों के हित में कुछ जानकारियां मांगी गई थी, अफसोस का विषय है कि NSIC के अधिकारियों द्वारा कोई स्पष्ट जबाब नहीं दिया गया, जो यह दर्शाता है कि NSIC के अधिकारी इन सब घोटालों को छुपाकर रखना चाहते हैं !

आपकी सरकार सदैव लघु उद्यमी के पक्षधर होने का दावा करती है परंतु आपके एक मंत्रालय द्वारा लघु उद्योगों पर अत्याचार किये जा रहे हैं और अधिकारी लघु उद्योगों के खून पसीने की कमाई से पीआरपी Incentive ले कर मौजमस्ती कर रहे हैं , यह अफसोस जनक है |

इस पत्र के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि NSIC के क्रिया कलापों की जाँच किसी केंद्रीय Agency से करायी जाय तथा लघु उद्योग के हितों के विपरीत चल रही सभी योजनाओं पर सूक्ष्मता से गहन जाँच करायी जाय | अधिकारियों को दिया गया PRP तुरंत वापस लेकर लघु उद्यमियों को कुछ वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये |

यदि NSIC के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा उनसे PRP वापस नहीं लिया गया तो हमारी पार्टी देश कि सभी लघु उद्योगों की विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाओं को साथ लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ेगी |

धन्यवाद



वी के बसल

राष्ट्रीय अध्यक्ष

8076435958

सेवा में:

माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी

प्रधानमंत्री, भारत सरकार

152, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल,

नई दिल्ली -110011

....Contd 3.....

सूचनार्थ :

1. माननीय श्री अरुण जेटली जी, वित्त मंत्री, भारत सरकार, रूम न. 134, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001
2. श्री कलराज मिश्रा, माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, रूम न. 168, उद्योगभवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011
3. श्री के के जालान, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, रूम न. 169, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110011

प्रतिलिपि :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
पॉकेट-9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110001

"अनुरोध है कि भारत के लघु उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु उपरोक्त मामले में NSIC के क्रिया कलापो और खातों की गहनता से जांच कराई जाए"।

